राजस्थान सरकार
उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांकः प. 1 ( ) आ.उ. / सोलर / कुसुम / 2019–20 / 4858-5028 दिनांकः– 5/2/2020

समस्त उप / सहायक निदेशक उद्यान ....

विषयः– "प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM KUSUM)" योजना के कम्पोनेंट 'B' अन्तर्गत स्टेण्ड अलोन सौर उर्जा पम्प सयंत्र स्थापना हेतु कृषक–पात्रता के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– आयुक्तालय द्वारा जारी दिशा–निर्देश पत्र क्रमांक 4053–4209 दिनांक 28.11.2019 की निरन्तरता में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र द्वारा "प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM KUSUM)" योजना के कम्पोनेंट 'B' अन्तर्गत अनुदान पर 7.5 एचपी पम्प क्षमता तक के स्टेण्ड अलोन सौर उर्जा पम्प सयंत्र स्थापना हेतु प्राप्त ऑनलाईन आवेदको की पत्रावली पूर्ण करने हेतु कृषक पात्रता सम्बन्धित जारी दिशा–निर्देशों की निरन्तरता में योजना की पात्रता एवं कट ऑफ दिनांक के सम्बन्ध में निम्नप्रकार संशोधन किये जाते हैः–

1. डार्क जोन या ब्लैक जोन क्षेत्र वाले विद्युत कनेक्शन विहिन कृषक के भू–स्वामित्व में सिंचाई योग्य पूर्व से स्थापित जलस्त्रोत की जानकारी कृषक द्वारा जमा कराये जाने वाली जमाबंदी अथवा अन्य राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो तो अलग से पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही होगी। कृषक द्वारा डीजल पम्प सेट से उक्त जलस्त्रोत से सिंचाई करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उसे योजना हेतु पात्र माना जावेगा (प्रारूप संलग्न)।
2. विद्युत कनेक्शन रहित कृषक द्वारा उसके भू–स्वामित्व में सिंचाई हेतु जल संग्रहण ढांचा, डिग्गी, फार्म पौण्ड व जलहौज (निर्धारित क्षमता का) निर्मित हो तो उसका कृषक से शपथ पत्र प्राप्त कर योजना हेतु पात्र माना जावेगा (प्रारूप संलग्न)।
3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कृषकों की ऑनलाईन आवेदित पत्रावलिया निर्धारित अनुपात में प्राप्त नही होने के कारण उक्त श्रेणियों की कटऑफ दिनांक 15.02.2020 तक बढायी जाती है। अतः निर्धारित दिनांक तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कृषकों की ऑनलाईन वरियतानुसार पात्रता जांच कर पत्रावली पूर्ण करावें एवं दिनांक 16.02.2020 तक उक्त श्रेणीवार प्राप्त पत्रावलियों की संख्या से आयुक्तालय को अवगत करावें। उक्त दिवस तक पत्रावलियां निर्धारित अनुपात में प्राप्त नही होने पर आयुक्तालय द्वारा कटऑफ दिनांक बढायी जा सकेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

अतिरिक्त निदेशक उद्यान,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प. 1 ( ) आ.उ./सोलर/कुसुम/2019–20/4858-5028 दिनांकः– 17/2/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (ऊर्जा), राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक, आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर।
5. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, (RE&O) राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा निगम लि0, (RRECL), E-166 ए यूधिष्ठिर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
6. अध्यक्ष, जिला होर्टीकल्चर सोसायटी एवं जिला कलेक्टर ....
7. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक, सहकार भवन जयपुर।
9. समस्त जिला अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण निगम लि0।
10. समस्त खण्डीय संयुक्त निदेशक उद्यान/कृषि विस्तार ....
11. समस्त संभागीय उप निदेशक उद्यान ....
12. समस्त उप निदेशक, कृषि विस्तार (जिला परिषद) ....
13. समस्त सहायक निदेशक कृषि (वि.) ....
14. आरक्षी पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक उद्यान,
राजस्थान, जयपुर

संलग्नक

डार्क जोन/ब्लैक जोन क्षेत्र के विद्युत कनेक्शन विहिन कृषक हेतु भू–स्वामित्व मे जल–स्त्रोत अंकित होने पर देय शपथ पत्र

मैं कृषक श्री ....पुत्र श्री..जाति .... निवासी... .... शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि :–

1. मेरे भू–स्वामित्व (रकबा .... है0) जो कि डार्क जोन या ब्लैक जोन क्षेत्र मे स्थित है के खसरा न0 .... ग्राम .... पटवार हल्का .... में सिंचाई स्त्रोत (कुऑ/नलकूप इत्यादि) .... दर्ज/अंकित है (प्रमाणित नवीनतम दस्तावेज की प्रति संलग्न है)। यह जल स्त्रोत सिंचाई योग्य है तथा वर्तमान में सिंचाई डीजल चलित सिंचाई संयंत्र द्वारा की जा रही है।

प्रमाणितकर्त्ता :

कृषक हस्ताक्षर

कृषि विभाग/उद्यान विभाग के विस्तार कार्यकर्ता के प्रमाणिकरण के हस्ताक्षर (नाम, पदनाम, मुख्यालय सहित विवरण)

कृषक का नाम

पता : ग्राम : ....

पंचायत समिति : ....

तहसीलः: ....

जिला : ....

दूरभाष सम्पर्क (कोड सहित) : मो0 ....

संलग्नक

जल संग्रहण ढांचा/डिग्गी/फार्म पौण्ड/जलहौज के सम्बन्ध में विद्युत कनेक्शन विहिन कृषक हेतु देय शपथ पत्र

मैं कृषक श्री ....पुत्र श्री...जाति .... निवासी... .... शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि :–

मेरे पास भू– स्वामित्व ....है0 खसरा न0 .... ग्राम .... पटवार हल्का .... में योजना की दिशा–निर्देशों में अंकित निर्धारित क्षमता .... घन मीटर का जल संग्रहण ढांचा/डिग्गी/फार्म पौण्ड/जलहौज निर्मित है।

प्रमाणितकर्त्ता : **कृषक हस्ताक्षर**

कृषि विभाग/उद्यान विभाग के विस्तार कार्यकर्ता के प्रमाणिकरण के हस्ताक्षर (नाम, पदनाम, मुख्यालय सहित विवरण)

कृषक का नाम

पता : ग्राम : ....

पंचायत समिति : ....

तहसील:: ....

जिला : ....

दूरभाष सम्पर्क (कोड सहित) : मो0 ....